हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
हीरालाल/सरकार 1/28/2011	28/1/11 आज पक्षकारों मौजूद हुई वादी के वादी वकील अनुपस्थित मामला में कार्य कार्य अवकाश दिखाया गया कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः अवकाश तक 5.30 बजे दिखाई पर भी वादी के वादी वकील उपस्थित नहीं होने पर मुकदमा सड़क हादसे पेशी में खारिज किया जाता है पक्षकारों को सूचना होकर आगे तिथि 30.1.11 होगी उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)	